परिसीमन / अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या– प०नि० 30–67 / 2026......3691

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–जिला दंडाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक– 09.09.26

विषय :– बेचिरागी राजस्व ग्राम की प्रविष्टि आयोग के वेबसाईट पर किये जाने, आयोग के वेबसाईट पर प्रदर्शित राजस्व ग्रामों एवं उनके जनसंख्या का सत्यापन किये जाने तथा तत्संबंधी प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

प्रसंग:– आयोग के पत्रांक–3453, दिनांक–24.08.2026

महाशय,

उर्पयुक्त विषयक सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन का कार्य प्रक्रियाधीन है। उक्त क्रम में आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा बेचिरागी राजस्व ग्रामों की प्रविष्टि आयोग के वेबसाईट पर किये जाने हेतु Video Conferencing के माध्यम से आवश्यक दिशा–निर्देश सभी जिलों को दिये गए हैं।

(2) **बेचिरागी राजस्व ग्राम की प्रविष्टि आयोग के पोर्टल पर किया जाना**–कतिपय जिलों द्वारा कुछ बेचिरागी राजस्व ग्रामों के पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होने संबंधी सूचना आयोग को प्राप्त हो रही है। उक्त के संबंध में स्पष्ट करना है कि विगत दिनों प्रपत्र–1 में बेचिरागी राजस्व ग्रामों की प्रविष्टि नहीं होने के कारण आयोग के डाटाबेस में वैसे राजस्व ग्राम प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं जिसकी प्रविष्टि वर्तमान परिसीमन के निमित्त नितांत आवश्यक है क्योंकि कोई भी बेचिरागी राजस्व ग्राम किसी पंचायत एवं उनके वार्ड के अंतर्गत सम्मिलित होंगें। अतः आयोग के वेबसाईट पर प्रखंडवार राजस्व ग्रामों की प्रदर्शित सूची के अनुसार यदि कोई राजस्व ग्राम उक्त सूची में प्रदर्शित नहीं है तो विहित प्रपत्र में सूची आयोग को भेजते हुए उसकी प्रविष्टि आयोग के पोर्टल पर किया जाए। साथ ही उक्त आशय का प्रमाणपत्र प्रखंड विकास पदधिकारी एवं अंचलाधिकारी से प्राप्त किया जाए कि प्रखंड अन्तर्गत सभी राजस्व ग्रामों की प्रविष्टि आयोग के पोर्टल पर कर ली गई है एवं कोई भी राजस्व ग्राम छुटा नहीं है।

(3) **राजस्व ग्राम ग्रामीण अथवा नगरीय क्षेत्र में अवस्थित होने संबंधी सत्यापन**–वर्तमान में किसी भी प्रखंड अन्तर्गत जो भी राजस्व ग्राम प्रदर्शित हो रहे हैं उनका सत्यापन करा लिया जाए कि प्रदर्शित होने वाले सभी राजस्व ग्राम, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है एवं इन्हीं राजस्व ग्रामों का परिसीमन किया जाना है। यदि प्रदर्शित होने वाले राजस्व ग्रामों में से कोई राजस्व ग्राम नगर निकाय का क्षेत्र है तो पूर्ण कारण एवं औचित्य के साथ उस राजस्व ग्राम को विलोपित किये जाने का प्रस्ताव अविलंब आयोग को उपलब्ध कराया जाए।

(4) **राजस्व ग्राम की जनसंख्या में भिन्नता वाले राजस्व ग्राम का सत्यापन**–प्रखंड अन्तर्गत प्रदर्शित होने वाले राजस्व ग्राम के जनसंख्या के आंकड़े एवं संबंधित राजस्व ग्राम के वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़े में भिन्नता वाले राजस्व ग्रामों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है।

उक्त के संदर्भ में जांच कराते हुए स्वयं संतुष्ट हो लिया जाए कि भिन्नता के कारण स्पष्ट है और इसमें किसी प्रकार के सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो पूर्ण कारण एवं औचित्य के साथ आयोग को तत्संबंधी सुधार हेतु अबिलंब प्रतिवेदित किया जाए।

निदेशानुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यों को दिनांक–12.09.2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराते हुए सभी प्रखंडों से प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाए एवं तत्संबंधी प्रमाणपत्र आयोग को अपने स्तर से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें। यदि किसी जिलान्तर्गत प्रतिवेदन शून्य है तो वैसी स्थिति में भी तीनों विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन आयोग को भेजा जाए।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाए।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

संचिका सं0–प.नि. 30–67/2026 3691 दिनांकः–09.09.26

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

प्रपत्र—क

छूटे हुए अवशेष राजस्व ग्रामों की सूची

क्र0	प्रखंड	राजस्व ग्राम	थाना संख्या	चिरागी/बेचिरागी	अभ्युक्ति

जिला दंडाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र—ख

राजस्व ग्राम जो नगर क्षेत्र के भाग हैं जिनकी प्रविष्टि को विलोपित किया जाना है।

क्र0	प्रखंड	राजस्व ग्राम	थाना संख्या	नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना जिसके द्वारा नगर निकाय में शामिल किया गया है।

जिला दंडाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र—ग

राजस्व ग्राम की वर्तमान जनसंख्या एवं 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में भिन्नता का प्रतिवेदन।

क्र0	प्रखंड	राजस्व ग्राम का नाम (थाना संख्या सहित)	जनसंख्या		जनसंख्या में भिन्नता का कारण
			वर्ष 2011 के अनुसार	वर्तमान जनसंख्या	

जिला दंडाधिकारी का हस्ताक्षर

९१९

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ....जिलान्तर्गत सभी प्रखंडों में अवस्थित सभी राजस्व ग्रामों की प्रविष्टि आयोग के पोर्टल पर शुद्ध रूप से पूर्ण कर लिया गया है कोई भी राजस्व ग्राम छूटा नहीं है। जिले के सभी प्रखंड अन्तर्गत प्रदर्शित होने वाले राजस्व ग्राम ग्रामीण क्षेत्र के भाग हैं। पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाले राजस्व ग्राम जिनके वर्ष 2011 के सापेक्ष जनसंख्या में भिन्नता है उनकी जांच करा ली गई है उसमें किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता नहीं है।

भविष्य में यदि ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो इसकी पूर्ण जवाबदेही अद्योहस्ताक्षरी की होगी।

स्थान--

दिनांक--

जिला दंडाधिकारी का हस्ताक्षर

(मुहर सहित)